

## 9. पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण हेतु की गई न्यायालयीन कार्यवाही

विचाराधीन वर्ष 2011-12 में निम्नलिखित उद्योगों/संस्थानों के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण दायर किये गये:-

क्र.	उद्योग/संस्थान का नाम	प्रकरण दायर करने का दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
1	मेसर्स मलाजखण्ड कॉपर प्रोजेक्ट मलाजखण्ड बालाघाट	1/4/11	जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-33 ए, एवं 24 के अन्तर्गत।	प्रदूषण फैलाए जाने के संबंध में।
2	मेसर्स ग्रेट गैलेयन लि. ग्राम-सेजवाया, घाटा बिल्लौद जिला-धार	7/4/11	जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-24, 25, 26, 33, 44 व 47	दूषित जल का निस्सारण करने व सम्मति शर्तों का उल्लंघन करने के कारण।
3	मेसर्स प्रतिभा सिन्टेक्स प्रा.लि.औद्योगिक क्षेत्र खेडा पीथमपुर जिला-धार	7/4/11	जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-24, 25, 43 एवं 44	दूषित जल का निस्सारण करने व सम्मति शर्तों का उल्लंघन करने के कारण।
4	मेसर्स प्रिस्टिजियस स्कांस प्रा.लि.ग्वालियर	6/5/11	वायु ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-37 व 39	बिना सम्मति संचालन एवं निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण ।
5	मेसर्स जी.डी.पी.एग्रो इण्डस्ट्रीज ग्राम-बरूआ, ग्वालियर	9/5/11	जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-41 (2) व 44	बिना सम्मति संचालन एवं निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण ।
6	मेसर्स ग्वालियर डिस्टलरी रायरू, ग्वालियर	20/5/11	जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-43 व 44	सम्मति शर्तों का उल्लंघन करने के कारण।

क्र.	उद्योग/संस्थान का नाम	प्रकरण दायर करने का दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
7	मेसर्स नेशनल स्टील एण्ड ऐग्री इण्डस्ट्रीज लि.ग्राम-सेजवाया घाटा बिल्लौद जिला- धार	31/5/11	जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-24,25, 26,43, 44 व 47	दूषित जल का निस्सारण करने व सम्मति शर्तों का उल्लंघन करने के कारण।
8	मेसर्स नर्मदा शुगर मिल प्रा.लि.सालीचौका, नरसिंहपुर	7/7/11	जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 45 ए एवं वायु ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21,37 व 39	बोर्ड के निर्देशों का पालन न करने के संबंध में।
9	मेसर्स शक्ति शुगर मिल प्रा.लि. कोडिया नरसिंहपुर	7/7/11	जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 45 ए एवं वायु ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21, 37 व 39	बोर्ड के निर्देशों का पालन न करने के संबंध में।
10	मेसर्स वोरा वायर्स इण्डस्ट्रीज लि.इन्दौर	15/7/11	जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 47	जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धाराओं का उल्लंघन।
11	मेसर्स पेरेंटल ड्रम्स इण्डस्ट्रीज लि.असरावद इन्दौर	15/7/11 15/7/11	जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 41 ( 2 ), 44 एवं 47 वायु ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा - 21,37 व 40	जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धाराओं का उल्लंघन। वायु ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धाराओं का उल्लंघन।
12	मेसर्स नेप्चून पैकेजिंग असरावद इन्दौर	15/7/11	जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 44 एवं 47	जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धाराओं का उल्लंघन।



क्र.	उद्योग/संस्थान का नाम	प्रकरण दायर करने का दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
13	मेसर्स जयदीप ग्लास वर्कस प्रा.लि.यूनिट-1 औद्योगिक क्षेत्र खेडा पीथमपुर जिला-धार	28/7/11	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-25, 26, 41 (2) एवं 44	सम्मति शर्तों का पालन न करने, बोर्ड की वैध सम्मति प्राप्त किये बिना उत्पादन कार्य जारी रखने एवं बोर्ड के निर्देशों का पालन न करने के कारण।
14	मेसर्स लेन्सेस इंडिया प्रा.लि. बिरला ग्राम नागदा जिला-उज्जैन	26/7/11	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 एवं 44 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा - 37 व 47	जल/वायु सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण।
15	नगर पालिक निगम उज्जैन	10/8/11	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 43,44 एवं 47	जल सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण।
16	मेसर्स एम.पी.स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन (केलकुआँ खटम्बा रॉक फास्टेट माईन्स) मेधनगर जिला-झाबुआ	29/9/11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 एवं 19 के अन्तर्गत	बगैर पर्यावरणीय स्वीकृति व जल/वायु सम्मति के खदान संचालित करने के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप।
17	मेसर्स पेसेफिक एक्सपोर्ट माइन ग्राम झीठी सिहोरा जबलपुर	24/10/11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15,16 एवं 21 के अन्तर्गत	बिना ई.सी.प्राप्त किये एवं बिना एन्वैन्स कैपेसिटी के माईन्स चालू करने के कारण।
18	मेसर्स राजरतन ग्लोबल वार्यस.लि. औद्योगिक क्षेत्र खेडा पीथमपुर जिला-धार	3/11/11	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-24,25/26, 43 एवं 44	सम्मति शर्तों का पालन न करने, बोर्ड की वैध सम्मति प्राप्त किये बिना उत्पादन कार्य जारी रखने एवं बोर्ड के निर्देशों का पालन न करने के कारण।



क्र.	उद्योग/संस्थान का नाम	प्रकरण दायर करने का दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
119	मेसर्स ब्राइट मेटल इण्डस्ट्रीज. औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर जिला-धार	3/11/11	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-24,25/26,33ए, 41 (2) 43 एवं 44	सम्मति शर्तों का उल्लंघन करने एवं बोर्ड के निर्देशों का पालन न करने के कारण।
20	मेसर्स निर्मला मिनरल्स आयरन ओर माइन्स 20.141 हे. अगरिया, सिहोरा जबलपुर	18/11/11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15,16 एवं 21	बिना ई.सी.प्राप्त किये एवं बिना एनहेन्स केपेसिटी के माइन्स चालू करने के कारण।
21	मेसर्स निर्मला मिनरल्स आयरन ओर माइन्स 20.141 हे. अगरिया, सिहोरा जबलपुर	18/11/11	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 45 ए एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21, 37 व 39	बिना एयर/वाटर कन्संट एवं बिना एनहेन्स केपेसिटी के माइन्स चालू करने के कारण।
22	मेसर्स सूर्यवंशम मैगनीज ओर माइन्स रकबा 5.0 हे. ग्राम-मनसकरा सिहोरा जबलपुर	18/11/11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15,16 एवं 21	बिना ई.सी.प्राप्त किये एवं बिना एनहेन्स केपेसिटी के माइन्स चालू करने के कारण।
23	मेसर्स सूर्यवंशम मैगनीज ओर माइन्स रकबा 5.0 हे. ग्राम-मनसकरा सिहोरा जबलपुर	18/11/11	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 45 ए एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21,37 व 39	बिना एयर/वाटर कन्संट एवं बिना एनहेन्स केपेसिटी के माइन्स चालू करने के कारण।
24	मेसर्स आनन्द माइनिंग कार्पोरेशन रकबा 26.002 हे. ग्राम टिकरिया, सिहोरा जबलपुर	18/11/11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15,16 एवं 21	बिना ई.सी.प्राप्त किये एवं बिना एनहेन्स केपेसिटी के माइन्स चालू करने के कारण।
25	मेसर्स आनन्द माइनिंग कार्पोरेशन रकबा 26.002 हे. ग्राम टिकरिया, सिहोरा	18/11/11	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 45 ए एवं	बिना एयर/वाटर कन्संट एवं बिना एनहेन्स केपेसिटी के माइन्स चालू करने के



क्र.	उद्योग/संस्थान का नाम	प्रकरण दायर करने का दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
	जबलपुर		वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21, 37 व 39	कारण।
26	मेसर्स आनन्द माइनिंग कार्पोरेशन रकबा 11.578 हे. ग्राम प्रतापपुर सिहोरा जबलपुर	18/11/11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15,16 एवं 21	बिना ई.सी.प्राप्त किये एवं बिना एनहेन्स केपेसिटी के माइन्स चालू करने के कारण।
27	मेसर्स आनन्द माइनिंग कार्पोरेशन रकबा 11.578 हे. ग्राम प्रतापपुर सिहोरा जबलपुर	18/11/11	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 45 ए एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21,37 व 39	बिना एयर/वाटर कन्संट एवं बिना एनहेन्स केपेसिटी के माइन्स चालू करने के कारण।
28	मेसर्स निर्मला मिनरल्स आयरन ओर माइन्स 32.374 हे. ग्राम-दुबियारा सिहोरा जबलपुर	18/11/11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15,16 एवं 21	बिना ई.सी.प्राप्त किये एवं बिना एनहेन्स केपेसिटी के माइन्स चालू करने के कारण।
29	मेसर्स निर्मला मिनरल्स आयरन ओर माइन्स 32.374 हे. ग्राम-दुबियारा सिहोरा जबलपुर	18/11/11	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 45 ए एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21,37 व 39	बिना एयर/वाटर कन्संट एवं बिना एनहेन्स केपेसिटी के माइन्स चालू करने के कारण।
30	मेसर्स जयन्त विटामिन्स लि.रतलाम	24/11/11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के तहत।	प्राधिकार शर्तों के उल्लंघन के कारण।
31	मेसर्स जे.पी.सीधी सीमेन्ट कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट ग्राम-करियाझर जिला-सीधी	14/12/11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के तहत।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियमों एवं ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 का उल्लंघन।
32	मेसर्स भाजी-पानी ओपन कास्ट माइन डब्लू.सी.एल.पेंच ऐरिया	30/12/11	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44,45 ए	बगैर सम्मति के खदान चालू होने के कारण।



क्र.	उद्योग/संस्थान का नाम	प्रकरण दायर करने का दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
	छिंदवाडा		एवं 47 वायु ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21,37,39 व 40	
33	मेसर्स चौबे डेयरी ग्राम परियट जबलपुर	27/2/12	जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 47 एवं 33	डेयरियों से नदियों में प्रदूषण फैलाये जाने के कारण ।
34	मेसर्स श्रीराम दुबे डेयरी ग्राम इमलिया जबलपुर	27/2/12	जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 47 एवं 33	डेयरियों से नदियों में प्रदूषण फैलाये जाने के कारण ।
35	मेसर्स बाबा साहू डेयरी ग्राम कदराखेड़ा जबलपुर ( श्री महेश साहू )	27/2/12	जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 47 एवं 33	डेयरियों से नदियों में प्रदूषण फैलाये जाने के कारण ।
36	मेसर्स गुलाशन कुमार विजन डेयरी ग्राम करियाधाट जबलपुर	27/2/12	जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 47 एवं 33	डेयरियों से नदियों में प्रदूषण फैलाये जाने के कारण ।
37	मेसर्स मालगुजार डेयरी ग्राम परियट जबलपुर	27/2/12	जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 47 एवं 33	डेयरियों से नदियों में प्रदूषण फैलाये जाने के कारण ।
38	मेसर्स तिवारी डेयरी ग्राम परियट जबलपुर	27/2/12	जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 47 एवं 33	डेयरियों से नदियों में प्रदूषण फैलाये जाने के कारण ।
39	मेसर्स सोमनाथ डेयरी ग्राम कदराखेड़ा जबलपुर	27/2/12	जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 47 एवं 33	डेयरियों से नदियों में प्रदूषण फैलाये जाने के कारण ।
40	मेसर्स दर्शन डेयरी ग्राम परियट जबलपुर	27/2/12	जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 47 एवं 33	डेयरियों से नदियों में प्रदूषण फैलाये जाने के कारण ।
41	मेसर्स धर्मपाल डेयरी ग्राम परियट जबलपुर	27/2/12	जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 47 एवं 33	डेयरियों से नदियों में प्रदूषण फैलाये जाने के कारण ।
42	मेसर्स रामचन्द्र डेयरी ग्राम कदराखेड़ा जबलपुर	27/2/12	जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 47 एवं 33	डेयरियों से नदियों में प्रदूषण फैलाये जाने के कारण ।



क्र.	उद्योग/संस्थान का नाम	प्रकरण दायर करने का दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
43	मेसर्स अख्तर डेयरी ग्राम कटियाघाट जबलपुर	27/2/12	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 47 एवं 33	डेयरियों से नदियों में प्रदूषण फैलाये जाने के कारण ।
44	मेसर्स जनता डेयरी ग्राम सालीबाड़ा जबलपुर	27/2/12	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 47 एवं 33	डेयरियों से नदियों में प्रदूषण फैलाये जाने के कारण ।
45	मेसर्स बब्बू डेयरी ग्राम कटियाघाट जबलपुर	27/2/12	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 47 एवं 33	डेयरियों से नदियों में प्रदूषण फैलाये जाने के कारण ।
46	मेसर्स विजय खत्री डेयरी ग्राम सालीबाड़ा जबलपुर	27/2/12	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 47 एवं 33	डेयरियों से नदियों में प्रदूषण फैलाये जाने के कारण ।
47	मेसर्स बंटा डेयरी ग्राम परियट जबलपुर	27/2/12	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 47 एवं 33	डेयरियों से नदियों में प्रदूषण फैलाये जाने के कारण ।
48	मेसर्स ए-2 जेड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. ग्राम देवगुराडिया इन्दौर	29/2/12	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21,22,37 व 40	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धाराओं का उल्लंघन।



### सिद्ध हुये आरोप:-

मेसर्स पंचशील आर्गेनिक्स लि.इन्दौर के विरुद्ध बोर्ड की सम्पति नवीनीकरण करायें बिना उत्पादनरत रहने/एवं बोर्ड के निदेशों का पालन न करने के कारण इन्दौर के न्यायालय में आपराधिक प्रकरण क्रमांक 5805/03 जल अधिनियम 1974 की धारा 44 के तहत दायर किया गया था।

माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25/4/11 को आदेश पारित कर आरोपीगण ने अविवाक चर्चा के माध्यम से निराकरण किये जाने का निवेदन किया था जो स्वीकार किया गया था। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को जल अधिनियम 1974 की धारा 44 के तहत दोषसिद्ध ठहराते हुये प्रत्येक को रू. 2500-2500 के अर्थदण्ड, व्यतिक्रम होने पर 30-30 दिवस के साधारण कारावास से दंडित किया गया तथा अर्थदण्ड की राशि में से 8000/-रूपये परिवार्दी को अदा किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

मेसर्स अलनूर चेरिटेबल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर इन्दौर के विरुद्ध बोर्ड द्वारा दिनांक 23/1/04 को न्यायिक मजिस्ट्रेट इन्दौर के न्यायालय में जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हस्तन ) नियम 1998 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-15 के अन्तर्गत वाद क्रमांक 208/04 दायर किया गया था।